# राजस्थान सरकार
# निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःई–33/रेडियो./एम 92/2019/ दिनांकः

## आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख सेवानिवृत्ति दिनाक को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :–

| क्र स | कर्मचारी का नाम व पद | पदस्थापन स्थान | जन्म दिनांक | सेवानिवृत्ति दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री ईश्वरी प्रसाद खटीक रेडियोग्राफर | जिला चिकित्सालय दौसा | 10 5.1960 | 31.5.2020 |
| 2. | श्री नफीसुर्रहमान अधीक्षक रेडियोग्राफर | राजकीय जिला चिकित्सालय रामपुरा, कोटा | 6 11 1960 | 30 11 2020 |

उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नही है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नही है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नही है।

( मुकुल शर्मा )
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांकःई–33/रेडियो/एम 92/2019/417 दिनांकः 16.12.19

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन विभाग कोटा।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय दौसा
4. अधीक्षक, राज जिला चिकित्सालय रामपुरा कोटा
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय वास्ते अपलोड।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियो के विरूद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई राशि बकाया हो तो उसकी वसूली कर तत्काल निदेशालय को अवगत करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज जयपुर

order retire doc